



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042021-226757
CG-DL-E-26042021-226757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2021/वैशाख 6, 1943

No. 230]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2021/VAISAKHA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2021

सं. 24/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 288(अ).—जहां कि रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)', जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 61 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी अधिसूचना संख्या 15/2/2015-डीजीएडी, दिनांक 12 अप्रैल 2016, जिसे 12 अप्रैल 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I खंड-I में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों में रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि 574 (अ) दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 07/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 जून 2020, जिसे दिनांक 19 जून 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के परिवर्तन के मामले में यह विनिश्चय करने के लिए जांच कार्य शुरू किया गया था कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि 574 (अ) दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' (एतश्मिन पश्चात् जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है) जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 61 00 के अंतर्गत आते हैं, पर भी लगाये जाने की आवश्यकता है या नहीं।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 07/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 जनवरी 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड-I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- विषय गत देश से विषयगत वस्तु के व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन आया है;
- विषयगत देश से विषयगत वस्तु का यहां आयात बहुत ही सस्ते मूल्य पर हो रहा है;
- विषयगत देश से विषयगत वस्तु का होने वाले आयात से रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगे वर्तमान प्रतिपाटन उपायों का प्रभाव कम होता जा रहा है,

और उन्होंने रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून, 2016 जिसे सा.का.नि 574 (अ) दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाये गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर भी लगाये जाने की सिफारिश की है।

अतः अब प्रतिपाटन सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जिनकी विशेषता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कालम (2) के तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कालम (11) विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कालम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तु का विवरण	विशेषता	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904 61 00	'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)	कोई भी	रूस	रूस	कोई भी	कोई भी	874.56	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2.	3904 61 00	'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)	कोई भी	रूस	रूस से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	874.56	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	3904 61 00	'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)	कोई भी	रूस या चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	रूस	कोई भी	कोई भी	874.56	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर उपयुक्त अधिसूचना सं 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि 574 (अ) दिनांक 6 जून, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, द्वारा लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क जारी रहेगा (यदि इसके पहले वापस नहीं लिया जाता है, इसका अतिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/113/2020-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2021

No. 24/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 288(E).—Whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)' falling under the tariff item 3904 61 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Russia, the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 15/2/2015-DGAD, dated the 12th April 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th April 2016, had recommended imposition of the anti-dumping duty on Polytetrafluoroethylene or PTFE, originating in or exported from Russia.

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)', originating in or exported from Russia, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.23/2016-Customs (ADD), dated the 6th June, 2016, published *vide* number G.S.R. 574(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6th June, 2016.

And whereas, the designated authority, *vide* notification No.07/22/2020-DGTR, dated the 19th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 19th June, 2020, in the matter of circumvention of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)' originating in or

exported from Russia, had initiated an investigation to determine the need for extending the anti-dumping duty imposed on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)', originating in or exported from Russia, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.23/2016-Customs (ADD), dated the 6th June, 2016, published *vide* number G.S.R. 574(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 6th June, 2016, to the imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)' (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under the tariff item 3904 61 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from Korea RP (hereinafter referred to as the subject country) into India.

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.07/22/2020-DGTR, dated the 27th January, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) there has been a change in pattern of trade in case of subject goods from the subject country;
- (ii) imports of subject goods from the subject country are entering at dumped prices;
- (iii) the import of subject goods from the subject country has undermined the remedial effect of existing anti-dumping measure on the imports of the subject goods originating in or exported from Russia,

and has recommended imposition of the existing anti-dumping duty imposed on the imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)', originating in or exported from Russia, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.23/2016-Customs (ADD), dated the 6th June, 2016, published *vide* number G.S.R. 574(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6th June, 2016, on the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters specified in the corresponding entry in column (8) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (9), in the currency specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904 61 00	Polytetrafluorethylene (PTFE)	Any	Russia	Russia	Any	Any	874.56	MT	US Dollar
2.	3904 61 00	Polytetrafluorethylene (PTFE)	Any	Russia	Any other than Russia	Any	Any	874.56	MT	US Dollar
3.	3904 61 00	Polytetrafluorethylene (PTFE)	Any	Any other than Russia or People's Republic of China	Russia	Any	Any	874.56	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette and will be co-terminus with the anti-dumping duty on Polytetrafluoroethylene (PTFE) as levied *vide* aforesaid notification No. 23/2016-Customs (ADD), dated the 6th June, 2016, published *vide* number G.S.R. 574(E), dated the 6th June, 2016 (unless revoked, superseded or amended earlier), and the anti-dumping duty shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/113/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.